अध्याय-6

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

अध्याय-6

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण को उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है कि इकाई के सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है। आंतरिक नियंत्रण में नियंत्रण गतिविधियाँ (दस्तावेजीकरण की स्थिति, मिलान और भौतिक सत्यापन, कर्तव्यों का पृथक्करण), सूचना और संचार एवं निगरानी जैसे परस्पर संबन्धित घटक सम्मिलित होते हैं। नियंत्रण गतिविधियों और निगरानी पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ निम्नलिखित प्रस्तरों में दी गई हैं।

6.1 दस्तावेजीकरण

वित्तीय नियम[1] निर्धारित करते हैं कि किसी मंत्रालय/विभाग का सचिव यह सुनिश्चित करेगा कि उसके विभाग ने वित्तीय लेनदेन के पूर्ण और उचित अभिलेख बनाये हैं। विशेषज्ञों के अनुसार[2], विश्वसनीय, सत्यापन योग्य और प्रामाणिक अभिलेखों के बिना, निर्णयों एवं आधिकारिक कार्यों और लेन-देन का पता नहीं लगाया जा सकेगा; नियमों का पता नहीं चलेगा एवं उन्हें लागू नहीं किया जा सकेगा और पारदर्शिता मौजूद नहीं होगी।

समीक्षा में निम्नलिखित प्रकरणों में अपर्याप्त दस्तावेज पाये गए:

- जुलाई 2020 से नवम्बर 2021 के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैम्पा और उनके अधिकारियों ने निधियों को अवमुक्त करते समय दिनांक सहित हस्ताक्षर नहीं किये ***(प्रस्तर 4.1.5*** में संदर्भित)।
- प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमों के नियम-37 के अनुसार, मासिक लेखों, भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों का मासिक विवरण, निर्धारित प्रपत्रों (VII, VIII और IX) में भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों का वार्षिक विवरण और राज्य निधि से राष्ट्रीय निधि के वार्षिक भाग के लिए पंजिका बनाना था। तथापि, लेखापरीक्षा आच्छादित अवधि के दौरान राज्य प्राधिकरण उनका रख-रखाव करने में असफल रहा।
- राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के अन्तर्गत वितरित निधियों से किये गए समस्त व्ययों के लिए मासिक वर्गीकृत लेखे प्रत्येक माह राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत नहीं किये गए थे।
- संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान 68 वृक्षारोपण स्थलों में से 36 स्थलों पर कोई साइन बोर्ड नहीं मिला, जिस कारण लेखापरीक्षा यह प्रमाणित नहीं कर सका कि निरीक्षण किये गए वृक्षारोपण को उस भूमि पर निष्पादित किया गया था जिसे वृक्षारोपण के लिए चुना गया था ***(प्रस्तर 5.5*** में संदर्भित)।

---

1 सामान्य वित्तीय नियम, 2005 का नियम 64 ।

2 इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट ट्रस्ट, लंदन और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स, पेरिस।

- अग्निशमन पर्यवेक्षक, वन प्रहरी जैसे लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से निधियाँ हस्तांतरित नहीं की गई (***प्रस्तर 3.1.3 प्रकरण-VI*** में संदर्भित)।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (जुलाई 2023) अवगत कराया कि मासिक वर्गीकृत लेखे एवं प्रपत्रों को तैयार करने की प्रक्रिया गतिमान है।

6.2 कर्तव्यों का पृथक्करण

त्रुटि, अपव्यय या गलत कार्यों के जोखिमों को कम करने के लिए कर्तव्यों का पृथक्करण एक महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण गतिविधि है। इसका तात्पर्य यह है कि लेन-देन और घटनाओं को अधिकृत करने, प्रसंस्करण करने, अभिलिखित करने और समीक्षा करने के प्रमुख कर्तव्यों और उत्तरदायित्यों को व्यक्तियों के साथ-साथ संगठन के अनुभागों के मध्य बाँटा जाना चाहिए। कर्मचारियों के रोटेशन से यह सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकती है कि कोई भी व्यक्ति लेन-देन या घटनाओं के प्रमुख पहलुओं को अनुचित लम्बे समय तक नहीं संभाले।

केंद्र और राज्य सरकारों में कर्तव्यों के पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया जाता है, जिसमें व्यय की स्वीकृति, निधियों के आहरण (आहरण एवं वितरण अधिकारी-डी डी ओ), भंडारों/ नकदी की अभिरक्षा और अंत में भुगतान (वेतन एवं लेखा अधिकारी/ कोषाधिकारी) हेतु, पृथक-पृथक प्राधिकारी होते हैं। साथ ही, प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी और कोषाधिकारी को दो से तीन अधिकारियों की एक टीम द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, कोषाधिकारी का कार्यालय स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी और आहरण एवं वितरण अधिकारी से स्वतंत्र[3] हैं।

कैम्पा और कार्यान्वयन इकाइयों में वित्तीय प्रणाली की समीक्षा करने पर, यह पाया गया कि प्रभागीय प्राधिकारी, आहरण एवं वितरण अधिकारी के साथ-साथ कोषाधिकारी के कर्तव्यों का भी पालन कर रहे थे। उन्होंने व्यय की स्वीकृति देने और अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने/आपूर्ति आदेश जारी करने इत्यादि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों का भी प्रयोग किया। इस प्रकार, राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि के उपयोग के लिए प्रभागों में पृथक-पृथक आहरण एवं वितरण अधिकारी और 'स्वतंत्र' कोषाधिकारी होने का बुनियादी वित्तीय नियंत्रण उपलब्ध नहीं था। यह राज्य वन विभाग में राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए अपनाई जा रही प्रणाली के बिल्कुल विपरीत था जैसा कि नीचे दी गई **तालिका-6.1** में विस्तृत है।

[3] नागरिक मंत्रालयों में वेतन एवं लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय (महालेखा नियंत्रक) का एक अधीनस्थ कार्यालय है। वेतन एवं लेखा अधिकारी, मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक को रिपोर्ट करता है जो आगे मंत्रालय के महालेखा नियंत्रक और एकीकृत वित्तीय सलाहकार को रिपोर्ट करता है। एकीकृत वित्तीय सलाहकार इसके बाद वित्त मंत्रालय में सचिव (व्यय) और संबन्धित मंत्रालय के सचिव को रिपोर्ट करता है।

तालिका-6.1: कार्यान्वयन इकाई/प्रभाग स्तर पर कर्तव्यों का पृथक्करण

स्तर	कैम्पा के कार्यान्वयन में उत्तरदायित्व	राज्य सैक्टर व्यय के लिए उत्तराखण्ड सरकार में उत्तरदायित्व	भारत सरकार में उत्तरदायित्व
लेखाओं का रख-रखाव	डी एफ ओ	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	वेतन एवं लेखा अधिकारी
बिल तैयार करना	डी एफ ओ	संबन्धित क्लर्क	संबन्धित क्लर्क
देयकों का पारित होना	डी एफ ओ	आहरण एवं वितरण अधिकारी	आहरण एवं वितरण अधिकारी
भुगतान आदेश	डी एफ ओ	कोषाधिकारी	वेतन एवं लेखा अधिकारी
नकदी/चेक को संभालना	लेखाकार/कैशियर	कैशियर	कैशियर

- राज्य प्राधिकरण में अधिकृत करने, प्रसंस्कृतिक करने, अभिलिखित करने और समीक्षा करने के अधिकारों का पृथक्करण नहीं किया गया था क्योंकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा ने जुलाई 2020 से नवम्बर 2021 की अवधि के दौरान मुख्य वन्य जीव वार्डन के रूप में भी कार्य किया।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा ने राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अवमुक्त करने से पूर्व, अध्यक्ष, कार्यकारी समिति को बजट अनुमोदन नोट प्रस्तुत नहीं किया। उन्तीस अनुमोदनों में से मात्र आठ बार अनुमोदन नोट अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था। इससे कर्तव्यों का पृथक्करण निष्फल हुआ ***(प्रस्तर 4.1.5*** में संदर्भित)।
- संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी और वित्त प्रबंधक के पद को न भरने के कारण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा ने समस्त भूमिकाओं को अकेले निभाया, जिससे कर्तव्यों के पृथक्करण का सिद्धांत निष्फल हुआ।

राज्य सरकार ने जुलाई 2023 अपने उत्तर में ज़ोर देकर कहा कि अधिकारियों/ कर्मचारियों को स्थापित नियमों और उपलब्ध श्रमशक्ति के अनुसार विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाता है। तथापि, यह स्पष्टीकरण अस्वीकार्य है क्योंकि एक ही अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक और वित्तीय निर्णय लेने में पृथक-पृथक महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे मनमाने निर्णय लेते हैं।

6.3 मिलान

आंकड़ो का मिलान एवं सत्यापन वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण साधन है। समीक्षा करने पर, मिलान की कमी के निम्नलिखित प्रकरण पाये गयेः

- राज्य प्राधिकरण ने प्रबंधन सूचना प्रणाली और लेखे में दिखाई देने वाले व्यय के आंकड़ों में अंतर का मिलान नहीं किया ***(परिशिष्ट-6.1)***। आंकड़ों के मिलान का पालन करने में विफलता बजटीय प्रक्रिया के उद्देश्य को ही विफल कर देती है।

राज्य सरकार (जुलाई 2023) ने अवगत कराया कि प्रभागों ने व्यय के आंकड़ों की प्रबंधन सूचना प्रणाली में प्रविष्टि की; हालाँकि, पोर्टल में तस्वीरों और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी पी एस) स्थलों की अनुपस्थिति के कारण प्रणाली ने आंकड़ों को खारिज कर दिया। इस बात पर जोर दिया गया कि प्रभागों को व्यय के आंकड़ों का मिलान कर असमानता को दूर करने के निर्देश जारी किये गये हैं। उत्तर स्व-व्याख्यात्मक है और लेखापरीक्षा अवलोकन की पुष्टि करता है।

- राज्य प्राधिकरण/प्रभागों ने 12,305 पॉलिगन[4] में से 3,767 (30.61 *प्रतिशत)* का मिलान ई-ग्रीन वॉच पोर्टल[5] के साथ नहीं किया था, जो अनिश्चित श्रेणी में थे।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि अनिश्चित श्रेणियों में वे पॉलिगन सम्मिलित हैं जिनके लिए भौतिक निगरानी की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उपकरण की खरीद, भवनों के रख-रखाव और ब्रिडल पथ जैसे कार्य हेतु गूगल इमेजनरी संभव नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनिश्चित श्रेणी में दो प्रकार के पॉलिगन सम्मिलित हैं अर्थात (i) पॉलिगन जिनका अनुश्रवण गूगल इमेजनरी का उपयोग करके नहीं किया जा सकता है और (ii) वे पॉलिगन जिनके लिए गूगल अर्थ इमेज उपलब्ध नहीं हैं, जिससे पता चलता है कि मिलान न किये जाने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया गया था कि बाद की श्रेणी के कितने पॉलिगन पूर्ण या कम हैं।

6.4 निरीक्षण और मूल्यांकन प्रणाली

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन के प्रकरणों का पता लगाने और किसी भी कार्यालय में दस्तावेजीकरण की स्थिति का पता लगाने के लिए निरीक्षण एक महत्वपूर्ण नियंत्रण उपकरण है। वन विभाग नियमावली, भ्रमण/बाहरी स्टेशनों में रात्रि विश्राम और नियंत्रण अधिकारियों को निरीक्षण नोट प्रस्तुत करना अनिवार्य करती है। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि निरीक्षण प्रणाली निम्नलिखित आधारों पर कमजोर थी:

अ. प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय और शासन में निरीक्षण करने वाले अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए उनके निरीक्षण का मार्गदर्शन करने के लिए कोई संगठित चेकलिस्ट या दिशा-निर्देश नहीं है।

ब. कैम्पा कार्यों के विशेष संदर्भ में कार्यान्वयन इकाइयों के निरीक्षण की कोई निर्धारित आवृत्ति नहीं थी।

---

4 प्रतिकरात्मक वनरोपण भूमि, व्यपवर्तित भूमि, वृक्षारोपण कार्यों, अन्य वृक्षारोपण कार्य और परिसंपत्तियां।

5 ई-ग्रीन वॉच, वृक्षारोपण और अन्य वानिकी से संबंधित कार्यों के लिए विभिन्न केंद्र या राज्य प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों द्वारा निर्धारित कैम्पा निधियों और अन्य समस्त निधियों के उपयोग से संबंधित प्रक्रियाओं के स्वचालन, सुव्यवस्थित और प्रभावी प्रबंधन के लिए एक एकीकृत ई-गवर्नेंस पोर्टल है।

स. वन विभाग और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कई बार क्षेत्र का दौरा करने के बावजूद निरीक्षण करने या निर्देश/अनुदेश जारी किये जाने का कोई प्रमाण नहीं था।

द. एन पी वी गतिविधियों को अनुश्रवण एवं मूल्यांकन शाखा के अधिदेश से बाहर रखा गया था। यह देखा गया कि महत्वपूर्ण प्रतिकरात्मक वनरोपण निधियों को लैंटाना उन्मूलन, ब्रिडल पथ और मृदा एवं जल संरक्षण जैसे कार्यों पर व्यय किया गया। तथापि, इन कार्यों का निरीक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन शाखा द्वारा नहीं किया जा रहा था।

य. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम और नियमों के लागू होने के पश्चात राज्य प्राधिकरण ने संचालन, प्रक्रियाओं और गतिविधियों की समीक्षा नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप लेखांकन प्रक्रियाओं को नहीं अपनाया गया, कमियों वाले प्रस्तावों को बार-बार तैयार किया गया, प्रस्तावों, वित्तीय प्रबंधन और निष्पादन की समीक्षा के सम्बन्ध में कार्यकारी समिति और संचालन समिति द्वारा भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों का आंशिक निर्वहन किया गया।

राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया (जुलाई 2023) नहीं दी। हालांकि, बहिर्गमन गोष्ठी (अप्रैल 2023) के दौरान, सचिव ने तथ्यों को स्वीकार किया था और इन मुद्दों को भविष्य में अनुपालन के लिए कैम्पा प्राधिकरण के साथ-साथ वन विभाग के लिए उल्लेखनीय माना।

6.5 खराब अनुश्रवण तंत्र

राज्य प्राधिकरण के लिए अनुश्रवण एक महत्वपूर्ण गतिविधि है क्योंकि यह कार्यान्वित गतिविधियों की मात्रा और गुणवत्ता पर प्रतिक्रिया प्रदान करती है और उपचारात्मक उपायों का सुझाव भी देती है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- राज्य वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन शाखा, अनुश्रवण के लिए कैम्पा की 30 *प्रतिशत* गतिविधियों का चयन करते हैं और आवश्यक कार्यवाही और अनुपालन के लिए हॉफ और राज्य प्राधिकरण को अनुश्रवण रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन शाखा ने वर्ष 2019-22 के दौरान 395 वृक्षारोपण स्थलों का निरीक्षण किया और 247 स्थलों में वृक्षारोपण की कम जीवित रहने की दर 01 से 49 *प्रतिशत* तक बताई। राज्य प्राधिकरण ने न तो रिपोर्ट का संज्ञान लिया और न ही मई 1998 के स्थायी आदेश के अनुसार कोई प्रभावी अनुशासनात्मक कार्यवाही[6] की।

[6] (i) 20 *प्रतिशत* से कम सफलता वाले वृक्षारोपण क्षेत्रों से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निलम्बित किया गया है। (ii) 20-33 *प्रतिशत* वृक्षारोपण क्षेत्रों तक उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई और दोषी कर्मचारी का चरित्र पंजिका में तथ्यात्मक प्रविष्टि होनी चाहिए और (iii) 33-50 *प्रतिशत* तक वृक्षारोपण क्षेत्रों के लिए आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

- रीयल टाइम के अनुश्रवण हेतु, राज्य वन विभाग को निष्पादित कार्यों के पॉलिगन को ई-ग्रीन वॉच पर अपलोड करना था। इसके पश्चात, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा निष्पादित कार्यों के पॉलिगनों का अनुश्रवण किया जाना था। चयनित प्रभागों में ई-ग्रीन वॉच पोर्टल की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि किये गए कुल 639 क्षतिपूरक वनीकरण में से प्रभागों द्वारा मात्र 163 (26 *प्रतिशत*) के पॉलिगन को पोर्टल पर अपलोड किया गया था। चार प्रभागों[7] ने एक भी पॉलिगन ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड नहीं किया था। आगे, अपलोड किये गये 163 पॉलिगन में से तीन पॉलिगन को गलत तरीके से निर्मित क्षेत्रों में अपलोड किया गया था और 32 पॉलिगन को, पॉलिगन की ओवरलैपिंग, समान वृक्षारोपण स्थलों में पॉलिगन में कम क्षेत्र दिखाए जाने इत्यादि जैसी त्रुटियों (जैसा कि ***परिशिष्ट-6.2*** में वर्णित है) के साथ अपलोड किया था। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा नियमित रूप से अपलोड किये गए पॉलिगन में कमियों को इंगित करने के बावजूद, राज्य प्राधिकरण इस मुद्दे पर सुधारात्मक उपायों को करने में विफल रहा। लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, प्रभागीय वन अधिकारियों ने अवगत कराया (जून-सितम्बर 2022) कि तकनीकी कर्मचारियों की अनुपस्थिति और ज्ञान की कमी के कारण, पॉलिगन को अपलोड नहीं किया गया या वे गलत तरीके से अपलोड किये गये। भविष्य में इन्हें अपलोड किया जाएगा।
- प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम/नियमों/राष्ट्रीय प्राधिकरण के निर्देशों में राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि से किये गए विभिन्न कार्यों की तृतीय पक्ष द्वारा अनुश्रवण अपेक्षित है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2012-17 की अवधि हेतु तृतीय पक्ष से अनुश्रवण करवाया गया। तथापि, तृतीय पक्ष के मूल्यांकन प्रतिवेदन के निष्कर्षों और सिफारिशों पर कोई प्रभावी अनुवर्ती/ उपचारात्मक उपाय दिखाई नहीं दिये। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 की अवधि से तृतीय पक्ष की अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य किसी भी एजेंसी को नहीं सौंपा गया था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए (जुलाई 2023), राज्य सरकार ने वृक्षारोपण की कम जीवितता रहने की दर के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने से संबन्धित निर्देशों को रेखांकित किया, साथ ही अवगत कराया की वन गतिविधियों में जीवितता प्रतिशत को बढ़ाने के लिए उपचारात्मक उपायों को लागू करने और औचित्य प्राप्त करने के पश्चात निर्दिष्ट कार्यवाही शुरू की जाएगी।

---

[7] डी एफ ओ, अल्मोड़ा, नैनीताल, नरेंद्र नगर और सिविल एवं सोयम, पौड़ी।

6.6 अप्रभावी निगरानी

कैम्पा दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यकारी समिति को विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्य की वार्षिक कार्य योजना तैयार करने, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दिसम्बर के अंत से पहले संचालन समिति को प्रस्तुत करने और राज्य कैम्पा से अवमुक्त निधियों से कार्यान्वित किये जा रहे कार्यों की निगरानी करने की आवश्यकता होती है। यह निधियों की प्राप्ति और व्यय दोनों की उचित लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-22 के दौरान कार्यकारी समिति की नियमित बैठकें आयोजित की गयी थी। तथापि कार्यकारी समिति अपनी भूमिकाओं को प्रभावी तरीके से निभाने में विफल रही, जैसा कि नीचे विस्तृत रूप से बताया गया है:

- कार्यकारी समिति ने प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य तिथियों के अनुसार वार्षिक कार्य योजना को तैयार नहीं किया और संचालन समिति को समय पर प्रस्तुत नहीं किया ***(प्रस्तर 3.1.1)***।
- कार्यकारी समिति ने वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित अवास्तविक प्रस्तावों का संज्ञान नहीं लिया, तथापि, यह प्रकरण कार्यकारी समिति की तीसरी बैठक में उठाया गया था। प्रभागीय प्रस्तावों/ मांगों की बार-बार अवहेलना की गई और अतिरिक्त निधियां अवमुक्त की गईं ***(प्रस्तर 3.1.3 प्रकरण-V)***।
- कार्यकारी समिति की बैठक में (08 जनवरी 2019), यह निर्णय लिया गया था कि राज्य प्राधिकरण प्रभागों द्वारा निष्पादित वार्षिक कार्य योजना के कार्यों की एक मूल्यांकन रिपोर्ट लिखेगा और उन्हें अपने नियंत्रण अधिकारियों को भेजेगा ताकि नियंत्रण अधिकारी, प्रभागों की कार्य क्षमता की समीक्षा करते समय इस मूल्यांकन रिपोर्ट पर ध्यान दे सकें। तथापि, राज्य प्राधिकरण द्वारा न तो मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई एवं न ही कार्यकारी समिति द्वारा आगामी बैठकों में संज्ञान लिया गया।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (जुलाई 2023) कि इस संबंध में नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

- अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना में राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित शर्तों को न तो राज्य प्राधिकरण द्वारा कार्यकारी समिति की बैठकों में रखा गया एवं न ही उनके अनुपालन के लिए कार्यकारी समिति द्वारा चर्चा या अनुरोध किया गया था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (जुलाई 2023) कि राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित शर्तों को कार्यकारी समिति की बैठकों के दौरान रखा जाता है

और उन पर चर्चा की जाती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसे बैठक के कार्यवृत्तों में प्रलेखित नहीं किया गया था, जो मजबूत साक्ष्य के रूप में कार्य करता है।

- राज्य प्राधिकरण ने पांचवीं कार्यकारी समिति की बैठक (23 फरवरी 2021) में वर्ष 2012-17 की अवधि के लिए तृतीय पक्ष अनुश्रवण रिपोर्ट प्रस्तुत की, परंतु कार्यकारी समिति, वन अनुसंधान संस्थान (एफ आर आई) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के निष्कर्षों का संज्ञान लेने और उन पर कार्यवाही करने में विफल रहा। समिति ने सिर्फ यह संज्ञान लिया कि वन अनुसंधान संस्थान ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट को समझने और उस पर आगे की कार्यवाही करने की कोई उत्सुकता नहीं देखी गई।
- कार्यकारी समिति की बैठक (18 जून 2021) में, राज्य प्राधिकरण को यह निर्देश दिया गया था कि भविष्य में एफ आर आई की रिपोर्ट और अनुश्रवण एवं मूल्यांकन शाखा की आंतरिक अनुश्रवण रिपोर्ट का सारांश समिति के समक्ष रखा जाए। तथापि, न तो राज्य प्राधिकरण ने इन रिपोर्टों को कार्यकारी समिति को प्रस्तुत किया एवं न ही समिति ने इसके पश्चात इसके लिए कहा।
- सचिव, वन विभाग ने समस्त भारतीय वन सेवा अधिकारियों को निर्देश दिया (जनवरी 2020) कि भारतीय वन सेवा अधिकारियों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रत्येक वार्षिक कार्यवृत्त और बजटीय चक्र सहित तैयार कार्य योजना के आधार पर लिखी जाएगी और रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी। तथापि, प्रभागीय वन अधिकारियों के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी और संबन्धित रिपोर्टिंग अधिकारी (वन संरक्षक) द्वारा अनुमोदित नहीं की गई। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को कार्यकारी समिति की बैठकों में नहीं रखा गया और न ही इस पर चर्चा की गई।

जुलाई 2023 में, राज्य सरकार ने एफ आर आई रिपोर्ट, एफ आर आई रिपोर्ट का सारांश, आंतरिक अनुश्रवण रिपोर्ट और वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि, अप्रैल 2023 में बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सचिव ने तथ्यों को स्वीकार किया था और पुष्टि की कि इन मुद्दों ने कैम्पा प्राधिकरण और वन विभाग दोनों के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन के रूप में काम किया। सचिव ने आगे इन मुद्दों को भविष्य के अनुपालन के लिए उल्लेखनीय माना।

6.7 निष्कर्ष

कमजोर आंतरिक नियंत्रण के कारण, राज्य प्राधिकरण क्षतिपूरक वनीकरण गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित आश्वासन सुनिश्चित करने में विफल रहा। दस्तावेजों के रख-रखाव, कर्तव्यों के पृथक्करण और अपने लेखों के साथ प्रबंधन सूचना

प्रणाली डेटा के मिलान में राज्य प्राधिकरण का उदासीन दृष्टिकोण था। कमजोर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र के कारण वृक्षारोपण की कम जीवितता, निष्पादित कार्यों के लिए ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर पॉलिगन को अपलोड/सुधार नहीं करना और तृतीय पक्ष द्वारा सुझाए गए सुधारात्मक उपायों को नहीं अपनाने के प्रकरण भी पाये गये।

6.8 अनुशंसा

- ***एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने और बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।***

देहरादून **(प्रवीन्द्र यादव)**
दिनांक: 9 अक्टूबर 2024 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
दिनांक: 23 अक्टूबर 2024 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**